भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
मत्स्यपालन विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2590
16 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए

गैर-सब्सिडी वाले पीडीएस केरोसीन का वितरण

2590. श्री शफी परम्बिल:

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान मत्स्यपालन क्षेत्र में गैर सब्सिडी वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के माध्यम से वितरित कुल केरोसीन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में गैर-सब्सिडी वाली सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से मत्स्यपालन क्षेत्र के लिए वितरित कुल केरोसीन के आवंटन के लिए क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या देश में केरोसिन की कमी के कारण प्रत्येक राज्य को वितरित की जाने वाली केरोसिन की मात्रा कम है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने केरोसिन की अत्यधिक कमी, जिसने केरल राज्य में पारंपरिक मछुआरा समुदाय आजीविका को पहले ही प्रभावित कर दिया है, को दूर करने के लिए कोई समाधान किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) से (ड़): पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय जो इस विषय में नोडल मंत्रालय है, ने सूचित किया है कि केरल सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को PDS केरोसीन के आवंटन को 2010-11 से केरोसीन की प्रदूषणकारी प्रकृति को देखते हुए युक्ति संगत बनाया गया है। अब तक 21 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश PDS केरोसिन मुक्त हो चुके हैं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2024-25 तक, सरकार खाना पकाने और प्रकाश के उद्देश्य से तिमाही आधार पर केरल सहित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) केरोसिन आवंटित कर रही थी। 21 अगस्त, 2012 के आदेश के अनुसार, भारत सरकार ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्राकृतिक आपदाओं, धार्मिक समारोहों, मात्स्यिकी, विभिन्न यात्राओं आदि जैसी विशेष आवश्यकताओं के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान गैर-सब्सिडी दरों पर PDS केरोसिन का एक माह का कोटा आवंटित करने का अधिकार दिया था। अंतिम ग्राहकों को वितरण का निर्धारण का पैमाना, मानदंड, तौर-तरीके आदि भी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया गया था। विगत पांच वर्षों के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित PDS गैर-सब्सिडी वाले SKO का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने यह भी सूचित किया है कि भारत सरकार ने केरल सरकार सहित हितधारकों के परामर्श के बाद 2025-26 से 2027-28 की अवधि के लिए एक नई "PDS केरोसिन आवंटन नीति" तैयार की है। इस नीति के अनुसार, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था और विशेष जरूरतों के लिए तिमाही आधार पर एकल श्रेणी "PDS SKO" के अंतर्गत आवंटन किया जा रहा है। इसके अलावा, राज्यों को खाना पकाने और प्रकाश व्यवस्था के लिए या विशेष जरूरतों (मात्स्यिकी, मेला, प्रदर्शनी, महामारी, आपदा आदि) के लिए PDS SKO को उप-आवंटित करने की स्वतंत्रता है। उनकी विशिष्ट आवश्यकता के आधार पर। PDS नेटवर्क के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश में PDS SKO का वितरण संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा किया जाता है। तदनुसार, वितरण का पैमाना और मानदंड भी संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश द्वारा तय किया जाता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया है कि नई पॉलिसी के तहत, केरल राज्य को साल 2025-26 के लिए 22704 KL PDS SKO अलॉट किया गया है, जबकि साल 2024-25 के लिए कुल PDS (सब्सिडी वाला और बिना सब्सिडी वाला) SKO का अलॉटमेंट 4368 KL था, जो 319.78% की बढ़ोतरी दिखाता है। केरल राज्य द्वारा तीसरी तिमाही, 2025-26 तक अलॉट किए गए, बढ़ाए गए और लैप्स हुए PDS SKO की मात्रा का विवरण इस प्रकार है:

संख्या KL में

तिमाही, 2025-26	**आवंटन**	**बढ़ाया गया**	**लैप्स**
तिमाही 1	5676	924	4752
तिमाही 2	5676	5580	96
तिमाही 3	5676	राज्य 31.12.2025 तक बढ़ा सकते हैं	

अनुबंध

'गैर-सब्सिडी वाले PDS केरोसिन के वितरण' के संबंध में 16 दिसंबर, 2025 को उत्तर के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2590 के भाग (क) में उल्लिखित विवरण:

क्र.सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24	2024-25	कुल
1	अंडमान और निकोबार	156	0	0	0	0	156
2	आंध्र प्रदेश	0	0	0	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	528	396	276	240	168	1608
4	असम	15156	12960	10368	8292	4152	50928
5	बिहार	21912	17724	14184	10632	5316	69768
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	6864	4848	3876	2904	1380	19872
8	दादरा और नगर हवेली	0	0	0	0	0	0
9	दिल्ली	0	0	0	0	0	0
10	गोवा	60	24	24	12	0	120
11	गुजरात	11568	6996	4644	2088	0	25296
12	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	948	816	564	336	168	2832
14	जम्मू और कश्मीर	3744	3744	3180	2544	1272	14484
15	झारखंड	11268	7500	6000	4500	2244	31512
16	कर्नाटक	8822	10620	9172	2684	732	32030
17	केरल	15108	21888	7160	3300	1248	48704
18	लद्दाख	288	288	288	228	120	1212
19	लक्षद्वीप	60	60	48	36	24	228
20	मध्य प्रदेश	21720	17784	13332	9996	2736	65568
21	महाराष्ट्र	8868	3876	2328	1392	624	17088
22	मणिपुर	1104	924	828	744	372	3972
23	मेघालय	1596	1572	1416	1272	888	6744
24	मिजोरम	300	264	240	216	108	1128
25	नागालैंड	768	708	636	576	408	3096
26	ओडिशा	17544	16188	12948	9708	4320	60708
27	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
28	पंजाब	0	0	0	0	0	0
29	राजस्थान	3324	1176	0	0	0	4500
30	सिक्किम	204	180	168	144	72	768
31	तमिलनाडु	12108	10764	7536	4512	2712	37632
32	तेलंगाना	4716	1332	408	120	36	6612
33	त्रिपुरा	2196	2088	1884	1692	1188	9048
34	उत्तर प्रदेश	43152	15132	55	0	0	58339
35	उत्तराखंड	660	180	48	12	0	900
36	पश्चिम बंगाल	58668	58668	58668	38556	51276	265836
कुल		**273410**	**218700**	**160279**	**106736**	**81564**	**840689**

****